न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 79/2020 – निगरानी

1. श्रीमती भूली बाई पुत्री उंकार अहीर बेवा हीरालाल अहीर निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया

बनाम

1. श्रीमती चांदी पुत्री मोहनलाल अहीर निवासी तिलस्वा तहसील बिजौलिया
2. ग्राम पंचायत तिलस्वा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तिलस्वा तहसील बिजौलिया
3. ग्राम पंचायत तिलस्वा जरिये ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत तिलस्वा पंचायत समिति बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत तिलस्वा संकल्प संख्या 3 दिनांक 05.07.2017

उपस्थित –

1. श्री जयकुमार जैन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 4-11-.2020

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत तिलस्वा ने गैर निगराकार संख्या 01 श्रीमती चांदी पुत्री मोहनलाल अहीर निवासी तिलस्वा के आवेदन दिनांक 25.04.2017 के आधार पर आबादी क्षैत्र ग्राम तिलस्वा ग्राम पंचायत तिलस्वा में स्थित एक आवासीय पुश्तैनी मकान को बिना कोई जांच करके, नियमों के विपरीत पटटा जारी किया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किया जाने योग्य हैं। जबकि प्रश्नगत निगरानी प्रकरण में प्रस्तुत सजरे अनुसार उक्त पुश्तैनी जायदाद में निगराकार प्रथम श्रेणी की वारिस होकर पुश्तैनी जायदाद में कानूनी एवं विधिक प्रावधानों के तहत अधिकार बनता हैं। ग्राम पंचायत तिलस्वा ने वारिसान के तथ्यों की किसी प्रकार की जानकारी नहीं लेकर पंचायत राज नियमों के पूर्णतया अनदेखी कर विधि विरूद्व पटटा जारी किया है जो अपास्त किया जाने योग्य हैं। ग्राम पंचायत ने ग्रामवासियों के कोई शपथ पत्र अथवा बयान रिकार्ड नही किये एवं गैर निगराकार संख्या 01 के आवेदन के साथ भी किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र प्राप्त नहीं किया। गैर निगराकार संख्या 01 के आवेदन में यह भी वर्णित नहीं है कि यह पुश्तैनी जायदाद मकान कितने वर्ष पुराना होकर किसके समय से बना हुआ चला आ रहा है। ग्राम पंचायत तिलस्वा ने पंचायतीराज नियम 142 से 158 के प्रावधानों की पालना नहीं करके विवादित पटटा विधि विरूद्व जारी कर दिया है, उसे निरस्त किया जाना न्यायोचित हैं। निगराकार का वर्तमान में भी उक्त वर्णित पुश्तैनी जायदाद मकान पर कब्जा चला आ रहा

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार संख्या 01 श्रीमती चांदी पुत्री मोहनलाल अहीर निवासी तिलस्वा के नाम जारी तथाकथित पटटा संख्या 930 दिनांक 05.07.2017 संकल्प संख्या 3 को निरस्त किया जाने का आदेश किया जाकर निगराकार के नाम उक्त वादग्रस्त पुश्तैनी जायदाद का नियमानुसार पटटा जारी किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 25.05.2018 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 20. 07.2020 को देने हेतु व्यक्तिशः अधिवक्ताओं को सूचित किया गया। निगरानी प्रकरण दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी सं. 01 की ओर से जवाब पेश हुआ। ग्राम पंचायत तिलस्वा से रिकार्ड तलब किया गया।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार के अधिवक्ता ने अपनी निगरानी प्रकरण में अंकित तथ्यों को ही लिखित बहस मानने का निवेदन किया है एवं गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने निगरानी प्रकरण में प्रस्तुत जवाब को ही लिखित बहस मानने का निवेदन किया हैं।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 12 के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार संख्या 01 श्रीमती चांदी पुत्री मोहनलाल अहीर निवासी तिलस्वा के नाम जारी तथाकथित पटटा संख्या 930 दिनांक 05.07.2017 संकल्प संख्या 3 को निरस्त किया जाने का आदेश किया जाकर निगराकार के नाम उक्त वादग्रस्त पुश्तैनी जायदाद का नियमानुसार पटटा जारी किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि निगराकार के निगरानी प्रकरण में अंकित सजरे अनुसार निगराकार भूली बाई अपने विवाह के उपरांत से अपने ससुराल विगत 50 वर्षों से रह रही हैं एवं कभी भी उंकार की जायदाद पर उसका कब्जा नही रहा हैं। उंकार की पुश्तैनी जायदाद ग्राम तिलस्वा में नही रही है और न ही उंकार अहीर ग्राम तिलस्वा के कभी निवासी रहे हैं। उनका पैतृक गांव जोलास था, जहां वह जीवनपर्यन्त रहे, उनकी मृत्यु जोलास में ही हुई तथा उनके पुत्र मोहनलाल ने ग्राम तिलस्वा में आकर रहे तथा जमीन जायदाद बनाई। गैर निगराकार संख्या 01 के कानूनी अधिकार उनके पिता मोहनलाल की जायदाद से होकर वादग्रस्त जायदाद मोहनलाल द्वारा निर्मित की हुई हैं। उंकार का इस जायदाद से कोई संबंध नहीं हैं। ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 01 के आवेदन को स्वीकारने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। पटटा जारी करने से पूर्व आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया हैं। ग्रामवासियान एवं गैर निगराकार संख्या 01 के शपथ पत्र लिये गये हैं। किसी प्रकार की आपत्तियां प्राप्त नहीं हुयी है। मौके की रिपोर्ट भी पत्रावली पर पंचों की कमेटी द्वारा तलब की गयी थी एवं गैर निगराकार संख्या 01 मृतक मोहनलाल की एकमात्र वारिस, कब्जेधारी होने से उसके नाम पटटा जारी किया गया है। अधिकारों के विनिश्चय हेतु

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

वारिस, कब्जेधारी होने से उसके नाम पटटा जारी किया गया है। अधिकारों के विनिश्चय हेतु दीवानी न्यायालय सक्षम है, इस कारण निगराकार को अपने अधिकारों की स्थापना हेतु दीवानी न्यायालय में जरिये दावा अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। निगरानी के द्वारा अधिकारों का विनिश्चय नही किया जा सकता हैं। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियम 142 से 158 के प्रावधानों में वांछित प्रावधानों की पालना कर नियमानुसार पटटा जारी किया गया है जो सही है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी आधारहीन एवं क्षैत्राधिकार से परे होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिस अनुसार पाया कि गैर निगराकार संख्या 01 के द्वारा ग्राम पंचायत तिलस्वा को आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.07.2017 को 41 बाई 60 कुल 2460 वर्गफीट का पुश्तैनीगृह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत रूपये 200/– शुल्क लिया जाकर कोरम के प्रस्ताव कमांक 02 द्वारा सर्वसम्मति से पटटा जारी किये जाने की स्वीकृति दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आपत्तियां मांगने का सूचना पत्र, आबादी भूमि संबंधी मौका निरीक्षण पत्र, नियम 146 के तहत तीन वार्ड पंचों की कमेटी का मौका निरीक्षण पत्र संलग्न हैं। ग्राम पंचायत तिलस्वा द्वारा जारी पटटा संख्या 930 दिनांक 05.07.2017 संकल्प संख्या 3 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं। निगराकार ने निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की हैं कि पटटे संबंधी भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में विधि विरूद्व पटटा जारी कर दिया गया जिसे खारिज किये जाने हेतु प्रार्थना की हैं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि निगराकार ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया हैं, जिससे ज्ञात हो कि ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्व एवं बिना जांच किये गैर निगराकार संख्या 01 को पटटा जारी किया हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है।

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत तिलस्वा द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी पटटा संख्या 930 दिनांक 05.07.2017 के संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों के अन्तर्गत कोई विधिक त्रुटि नही पायी जाने से निगराकार की निगरानी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत तिलस्वा को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 4-11-.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)